रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-731/2025/712/22-2-2023-17(543)/2023
लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सुशीला उर्फ अन्नपूर्णा (बन्दी संख्या-2313) पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द्र पाण्डेय, निवासी इटौरा, थाना-पूराकलन्दर, जनपद-फैजाबाद(अयोध्या), जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-11/11 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-03, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 18.10.2022 तक 12 वर्ष, 00 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 11 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद(अयोध्या) के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-731/2025/712(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद(अयोध्या)।
3- पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद(अयोध्या)।
4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।